रा.पु.मु.ज./5–99/70,000

प्रथम सूचना रिपोर्ट
(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रकिया संहिता)

1. जिला.चौकी ,भ्र.नि.ब्यूरो अलवर द्वितीय ....थाना...प्रधान आरक्षी केन्द्र भ्र.नि.ब्यूरो जयपुर वर्ष ..2022..
   प्र. इ. रि. सं. .....398/2022..... दिनांक .....11/10/2022.....
2. (अ) अधिनियम भ्र0 नि0 (संशोधन) अधिनियम 2018..धारायें...7, 7ए पी.सी. एक्ट .....
   (ब) अधिनियम .....धारायें.....
   (स) अधिनियम .....धारायें.....
   (द) अन्य अधिनियम एवं धारायें .....384, 120बी भा.दं.सं.....
3. (अ) रोजनामचा आम रपट सख्या .....168.....समय.....6:15 P.M.....
   (ब) अपराध घटने का दिन–दिनांक 09.03.2022/11.30 ए.एम. से 11.03.2022/ समय 06.00 ए.एम.
   (स) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक..... 09.03.2022/समय 11.30 ए.एम.....
4. सूचना की किस्म :– लिखित/मौखिक ——— लिखित.....
5. घटनास्थल :–
   (अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी – दिशा पुरब,उत्तर पश्चिम दूरी लगभग 03 कि0मी0 .....
   (ब) पता–पंचवटी स्कीम 07 अलवर/मुगस्का अलवर जिला अलवर..बीट सख्या ...जरायमदेही सं.....
   (स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो–पुलिस थाना..... जिला.....
6. परिवादी/सूचनाकर्ता :–
   (अ) नाम —— श्री चन्द्रप्रकाश अरोडा
   (ब) पिता का नाम———स्व0 श्री सूरजभान अरोडा.....
   (स) जन्म तिथि /वर्ष ....65.....
   (द) राष्ट्रीयता.....भारतीय .....
   (य) पासपोर्ट सख्या .....जारी होने की तिथी.....
   जारी होने की जगह.....
   (र) व्यवसाय..... पुरानी कार खरीदने व बेचने का कार्य .....
   (ल) पता..मकान नं0–47 पंचवटी स्कीम 7 अलवर, हाल दुकान प्रियका कार बाजार मुगस्का अलवर....
7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तो का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित :–
   1–श्री गजराज पुत्र श्री संग्राम सिंह जाति राठौड उम्र 39 वर्ष निवासी कोठारिया तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द (राज.) हाल कानिस्टेबल नम्बर– 328 पुलिस थाना कोतवाली चित्तौडगढ जिला चित्तौडगढ (राज.)
   2–श्री मेघराम पुत्र श्री कमर सिंह जाति मीना उम्र 29 वर्ष निवासी बहादुरपुर तहसील टोडाभीम जिला करौली (राज.) हाल कानिस्टेबल नम्बर– 1597 पुलिस थाना कोतवाली चित्तौडगढ जिला चित्तौडगढ (राज.)
   3–श्री मोहन मीना पुत्र श्री बादाम मीना निवासी सलेमपुर खुर्द वैर जिला भरतपुर (प्राईवेट व्यक्ति)
   4–श्री रिंकू उर्फ राहुल मीना पुत्र श्री मनोहरलाल मीना निवासी विवेकानन्द नगर अलवर (प्राईवेट व्यक्ति)
8. परिवादी/ सूचनाकर्ता द्वारा इत्तला देने में विलम्ब का कारण :–कोई नही.....
9. चुराई हुई / लिप्त सम्पति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित होतो अतिरिक्त पन्ना लगायें) .....
   .....55,000/–रूपये रिश्वत राशि की मांग करना .....
10. चुराई हुई /लिप्त सम्पति का कुल मूल्य . पंचनामा/यू.डी. केस सख्या (अगर हो तो).....
    .....55,000/–रूपये रिश्वत राशि.की मांग करना .....
11. मृत्यू समीक्षा रिपोर्ट (अप्राकृतिक मृत्यू मामला सं0)(यदि कोई हो तो) नहीं
12. विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाये)

सेवा में, श्रीमान पुलिस उप अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अलवर,। विषयः–भ्रष्टाचारी को पकडने बाबत। महोदय, निवेदन है कि–मै चन्द्रप्रकाश अरोडा **S/O** स्व0 श्री सूरजभान जी 47 पंचबटी स्कीम 7 का रहने वाला हूं। वर्तमान मै प्रियंका कार बाजार मूंगसका में पुरानी कारें खरीदने/बेचने का कार्य कमीशन बेसिस पर करता हूं। दिनांक 18.01.2021 को मैने एक **Shift Desire RJ02/CB/0369** शहजाद खां मन्नाका से श्री रोहिताश चिरावा को बिकवाई थी, **Direct Stamp** लिखवाकर सौदा हुआ था, **Original Stamp** खरीदार व **Copy** बेचने वाला ले गया था। **Noc** न आने के कारण खरीदार ने यह कार किसी अन्य को बेच दी थी, वह कार चित्तौडगढ में डोडा–पोस्त में पकडी गई थी जून 2021 में। आज दिनांक 09.03.2022 को थानेदार श्री नेतराम व

उसके साथ 10–12 आदमी लगभग 10 बजे आये थे तथा मुझे **Accused** बनाकर ले जाने के लिये कह रहे थे। जब मैने **Heart** की बीमारी के ईलाज की बताई तो मुझे अपना **Mobile No** देकर कहा कि तुम दो चार दिन बाद आ जाना। वह सब एक कार में बैठ कर जाने लगे तब दो आदमी जो कि उस थानेदार के साथ थे उतर कर आये व 1 लाख रूपये मुझसे मांगे तो मैने अपनी दयनीय हालत बताकर 10,000/–रू. या ज्यादा से ज्यादा 20,000/–दे सकता हूं । तो मेरे पोते से यह कह कर चले गये कि आप स्टेशन पर आ जाना। मै उनको रिश्वत नहीं देना चाहता हूं बल्कि रंगे हाथों उन्हें रिश्वत लेते पकडवाना चाहता हूं। कृपया आवश्यक कानूनी कार्यवाही करें। भवदीय–हस्ताक्षर **C.P.Arora S/O** स्व0 श्री सूरजभान जी 47 पंचवटी अलवर–7597220832, हस्ताक्षर–स्वतंत्र गवाह वैभव व मनोज दिनांक 10.03.2022,

कार्यवाही पुलिसः

प्रमाणित किया जाता है कि दिनांक 09.03.2022 को समय 11.30 ए.एम. पर परिवादी श्री चन्द्रप्रकाश अरोडा पुत्र स्व0 श्री सूरजभान उम्र 65 वर्ष निवासी 47 पंजवटी स्कीम 7 अलवर ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, चौकी अलवर द्वितीय अलवर में मेरे समक्ष उपस्थित होकर उपरोक्त लिखित रिपोर्ट मेरे पद नाम से संवोधित की हुई मुझे पेश की। जिस पर परिवादी श्री चन्द्रप्रकाश अरोडा की लिखित रिपोर्ट का मन पुलिस उप अधीक्षक द्वारा अवलोकन कर कार्यवाही करते हुये लिखित रिपोर्ट में अंकित तथ्यों बाबत परिवादी श्री चन्द्रप्रकाश अरोडा से पूछताछ की तो उसने स्वयं का पढालिखा होकर उक्त लिखित रिपोर्ट अपने स्वयं की हस्तलिखित/हस्ताक्षरित होकर स्वयं के हस्ताक्षर होना तथा अंकित तथ्य सही होना बताते हुये बताया कि–मै वर्तमान में प्रियंका कार बाजार मूंगसका अलवर में पुरानी कारों को खरीदने एवं बेचने का कार्य कमीशन बेसिस पर करता हूं। दिनांक 18.01.2021 को मैने एक सिफ्ट डिजायर कार नम्बर आरजे–02 सीबी 0369 शहजाद खां मन्नाका से रोहिताश चिरावा को बिकवाई थी जिसमें डायरैक्ट स्टाम्प लिखवाकर सौदा हुआ था, मूल स्टाम्प खरीदार एवं उसकी कोपी बेचने वाला ले गया था। एन.ओ.सी. नहीं आने के कारण खरीदार ने वह कार किसी अन्य व्यक्ति को बेच दी थी, वह कार माह जून 2021 में चित्तौडगढ में डोडा–पोस्ट में पकडी गई। आज दिनांक 09.03.2022 को चित्तौडगढ से थानेदार श्री नेतराम व उसके साथ 10–12 आदमी सुवह के लगभग 10 बजे मेरे पास आये तथा मुझे मुल्जिम बनाकर ले जाने को कहा तो मैने हार्ट की बीमारी ईलाज की बताई तो थानेदार नेतराम ने मुझे अपना मोबाईल नम्बर देकर कहा कि तुम दो चार दिन बाद आ जाना। उसके बाद वे सभी गाडी में बैढकर जाने लगे तो उस गाडी में से दो आदमी जो देखने से पुलिस वाले ही लग रहे थे वे उतर कर मेरे पास आये और मुझसे 1 लाख रूपये मुकदमे में से नाम हटाने के मांगे तो मैने अपनी दयनीय हालत बताकर 10 हजार या ज्यादा से ज्यादा 20 हजार रूपये देने की कहा तो वे मेरे पोते से यह कर चले गये कि आप स्टेशन पर आ जाना। वे पुलिस वाले मुझसे रिश्वत में 1 लाख रूपये मांग रहे है मै उनको रिश्वत में 1 लाख रूपये नहीं देकर उन्हें रिश्वत लेते हुये रंगे हाथों पकडवाना चाहता हूं। मेरी उनसे कोई दुश्मनी नहीं है और ना ही कोई रूपये पैसे का लेन देन है। परिवादी ने यह भी बताया कि नेतराम थानेदार ने मेरी मुगस्का अलवर स्थित दुकान पर आने को कहा है। परिवादी ने मांगने पर अपने ऐड्रेस प्रूफ बाबत आधार कार्ड की स्वप्रमाणित प्रति प्रस्तुत की जिसे शामिल पत्रावली किया गया। परिवादी की लिखित रिपोर्ट एवं की गई दरियाफ्त आदि से मामला रिश्वत की मांग का पाया जाने पर समय 12.05 पी.एम पर रिश्वत राशि की मांग के गोपनीय सत्यापन हेतु आरोपीगण पुलिस कर्मियों से परिवादी की वार्ता हेतु डिजीटल वाईस रिकार्डर कार्यालय की आलमारी से निकालकर उसमें नया सैल डालकर चैक कर सभी फोल्डर खाली होना सुनिश्चत कर परिवादी एवं राकेश कुमार कानि0 को चालू एवं बन्द करने की विधि समझाकर राकेश कुमार कानि0 को सुपुर्द किया गया एवं हिदायत दी गई कि वह परिवादी के हमराह गन्तव्य स्थान परिवादी की मुगस्का अलवर स्थित दुकान पर पहुंचकर आरोपीगण पुलिस कर्मियों के दुकान पर आने से पहले उनसे परिवादी की वार्ता हेतु वाईस रिकार्डर को चालू करके परिवादी चन्द्रप्रकाश अरोडा को सुपुर्द करे, एवं आरोपीगण पुलिस कर्मियों एवं परिवादी के बीच होने वाली वार्ता को सुनने एवं देखने का प्रयास करे तथा परिवादी की आरोपीगण पुलिस कर्मियों से वार्ता होने के बाद वाईस रिकार्डर को परिवादी से लेकर बन्द कर अपने पास सुरक्षित रखे छेड–छाड नहीं करें तथा वापस कार्यालय में हमराह परिवादी के आकर मांगने पर उसी हालत में पेश करे। श्री लल्लू राम कानि0 को राकेश कुमार कानि0 व परिवादी के हमराह जाने की हिदायत दी गई। फर्द सुपुर्दगी वाईस रिकार्डर बाद हस्ताक्षर शामिल पत्रावली कर परिवादी चन्द्रप्रकाश अरोडा को आरोपीगण पुलिस कर्मियों के सही नाम पदस्थापन स्थान की जानकारी कर लेकर आने की हिदायत कर समय 12.15 पीएम पर परिवादी चन्द्रप्रकाश अरोडा को राकेश कुमार कानि0 व लल्लूराम कानि0 के हमराह रिश्वत राशि की मांग के गोपनीय सत्यापन हेतु मय वाईस रिकार्डर के कार्यालय से जरिये मोटरसाईकिल आरोपीगण पुलिस कर्मियों के रिश्वत मांगने व लेने आने वाले स्थान परिवादी की मुंगस्का अलवर स्थित दुकान प्रिंयका कार बाजार के लिये रवाना किया गया, जो उसी रोज समय 06.15 पीएम पर कार्यालय में उपस्थित आये तथा परिवादी चन्द्र प्रकाश अरोडा ने मुझे बताया कि–हम तीनो आपके कार्यालय से अपनी–अपनी मोटर साईकिलो से रवाना होकर के मुंगस्का अलवर स्थित मेरी दुकान

प्रिंयका कार बाजार पर पहुंचकर बैठ गये। जहां पर मैने अपने मोबाईल फोन नम्बर 7597220832 से आरोपी थानेदार नेतराम के मोबाईल फोन नम्बर–9214868590 पर कॉल लगाकर वार्ता करनी चाही किन्तु उसके द्वारा घंटी जाने के बाद भी फोन नहीं उठाया, काफी फोन मिलाया लेकिन उसने फोन नहीं उठाया उसके बाद करीब 2 बजे के बाद में आर.टी.ओ. कार्यालय अलवर परिसर में स्टाम्प बेचने का कार्य करने वाली श्रीमती सुन्दरी देवी ने अपने मोबाईल फोन नम्बर–9413437445 से मेरे मोबाईल नम्बर 7597220832 पर फोन कर कहा कि अरे बाबा तुमने मुझे फसा दिया ये पुलिस वाले आये है उसके बाद उसने मेरी थानेदार नेतराम से वार्ता कराई तो थानेदार नेतराम ने मुझे कहा कि सारा फर्जीवाडा आपके द्वारा किया गया है., मैने उससे दुकान पर आकर वार्ता करने को कहा तो उसने कहा आपको चार घंटे का समय दिया गया था, उसने मुझसे कहा कि चित्तौडगढ आ जाना, फिर मेरे द्वारा उन्हें दुकान पर आने को कहा तो उन्होने कहा कि मेरी 3 बजे ट्रेन है और कहा कि आप चित्तौडगढ आ जाना। उसके बाद मैने थानेदार नेतराम को काफी बार फोन मिलाया लेकिन उसने फोन नहीं उठाया, तथा मैने उसके फोन का इन्तजार किया लेकिन उसका फोन नहीं आया। उसके बाद मैने मेरे पोते दिव्यांशु को रेल्वे स्टेशन अलवर पर नेतराम थानेदार को देखने के लिये भेजा तथा आपका कर्मचारी राकेश भी मुझे व आपके कर्मचारी लल्लूराम को मेरी दुकान पर ही छोडकर मेरे पोते के साथ रेल्वे स्टेशन अलवर चले गये। कुछ समय के बाद मेरा पोता व आपके कर्मचारी राकेश वापस मेरी दुकान पर आये तथा मेरे पोते ने मुझे कहा कि नेतराम थानेदार अपने दो पुलिस वालों के साथ रेल्वे स्टेशन पर मिल गया और मुझसे कहा कि मै अपने स्टाफ के इन दो जवानों गजराज व मेघराम को अलवर में छोडकर जा रहा हूं जो प्रकरण से सम्बन्धित रिकार्ड प्राप्त करेंगे आप अपने दादा जी को लेकर इनके साथ चित्तौडगढ आ जाना और जैसी भी बात होगी मेरे ये स्टाफ वाले आपको बता देंगे, वे तीनों अलवर रेल्वे स्टेशन पर ही खडे रहे और हम वापस आ गये। मेरी व स्टाम्प विक्रेता श्रीमती सुन्दरी देवी के मोबाईल फोन पर आरोपी नेतराम थानेदार से हुई वार्ता को आपके कर्मचारियों द्वारा टेप रिकार्डर में रिकार्ड कर लिया है। थानेदार नेतराम ने मुझसे पैसों के संबंध में कोई बातचीत नहीं की है किन्तु वह अपने स्टाफ के दो जवानों मेघराम व गजराज को छोडकर गया है, मै कल दिनांक 10.03.2022 को सुवह हार्ट की बीमारी के ईलाज एवं दवाई लेने के लिये एम्स हॉस्पीटल दिल्ली जाउंगा और शाम तक वापस आउंगा, सम्भवतः मेरे पीछे से नेतराम थानेदार के स्टाफ वाले कल दिनांक 10.03.2022 को मेरी दुकान/घर पर आकर मेरे पोते दिव्यांशु से भी पैसों की मांग कर सकते है एवं स्टाम्प विक्रेता श्रीमती सुन्दरी देवी से भी फोन करवा सकते है। मेरे पीछे से आरोपीगण पुलिस वालों से जो भी जैसी बात होगी मेरा पोत्र दिव्यांशु आपको आपके कार्यालय में आकर बता देगा। इस पर मेरे द्वारा समय 06.30 पीएम पर श्री राकेश कुमार कानि0 से वॉईस रिकार्डर जरिये फर्द प्राप्त कर चालू कर उसमें रिकार्ड मोबाईल वार्ता को सुना गया तो परिवादी के कथनों अनुसार वार्ता रिकार्ड होना पाई गई। उक्त वार्ता को वॉईस रिकार्डर में सुरक्षित रखा जाकर वॉईस रिकॉर्डर को मन पुलिस उप अधीक्षक द्वारा स्वयं के कब्जे की कार्यालय आलमारी में सुरक्षित रखा गया तथा परिवादी को थानेदार नेतराम द्वारा अलवर में छोडे गये अपने स्टाफ के दो जवानों से कोई सम्पर्क अथवा बातचीत हो तो तुरन्त कार्यालय में उपस्थित होकर सूचना देने की हिदायत देकर कार्यालय से समय 08.00 पीएम पर रूखसत किया गया एवं राकेश कुमार व लल्लूराम कानि0 को गोपनीयता रखने की हिदायत दी गई। इसके बाद दिनांक 10.03.2022 को समय 01.00 पीएम परिवादी श्री चन्द्रप्रकाश अरोडा का पोत्र श्री दिव्यांशु ने कार्यालय में मेरे समक्ष उपस्थित होकर मुझे बताया कि आरोपीगण पुलिस कर्मी आर.टी.ओ. कार्यालय परिसर अलवर में स्टाम्प विक्रेता श्रीमती सुन्दरी देवी के पास बैठे हुये है और उन्होने श्रीमती सुन्दरी देवी स्टाम्प विक्रेता से गलत स्टाम्प बेचना बताते हुये उसे भी मुकदमे में नहीं फसाये जाने की कहकर उससे रिश्वत ली है और अब वे पुलिस वाले श्रीमती सुन्दरी देवी स्टाम्प विक्रेता से हमसे पैसे लिये जाने के लिये हमें फोन पर फोन करवा रहे है। मेरे दादाजी आज सुवह अपनी हार्ट की दवाईयां लेने के लिये एम्स हॉस्पीटल दिल्ली गये हुये है और शाम तक वापिस आयेंगे ये बातें मैने उन पुलिस वालों को एवं स्टाम्प विक्रेता श्रीमती सुन्दरी देवी को भी बता दी है, फिर भी वे पैसे शीघ्र दिये जाने हेतु दबाब बना रहे है। इस पर समय करीब 01.09 पीएम पर श्री दिव्यांशु के मोबाईल फोन नम्बर–9982112553 से श्रीमती सुन्दरी देवी स्टाम्प विक्रेता से उसके मोबाईल फोन नम्बर–9413437445 को मिलवाकर दिव्यांशु के मोबाईल फोन का स्पीकर ऑन कराकर वार्ता करवाई गई जो तीन बार वार्ता हुई जिसमें श्रीमती सुन्दरी देवी स्टाम्प विक्रेता ने आरोपी पुलिस कर्मियों द्वारा स्वयं से 20 हजार रूपये लेना बताते हुये परिवादी के पोते से 50 हजार रू. का शीघ्र इन्तजाम करके लेकर आने तथा बिना पैसे लिये पुलिस कर्मियों के नहीं जाने हेतु कहा गया, उक्त वार्ता को श्री राकेश कुमार कानि0 के जरिये विभागीय वाईस रिकार्डर में रिकार्ड करवाया गया तत्पश्चात डिजीटल वॉईस रिकार्डर में रिकार्ड उक्त वार्तालाप को विभागीय कम्प्यूटर की मदद से चालू कर सुना व परिवादी के पोते दिव्यांशु एवं गवाहान को सुनाया जाकर समय करीब 02.00 पीएम पर उक्त वार्तालाप की ट्रांसक्रिप्ट तैयार करवाई जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये, उक्त वार्ताओं में परिवादी के पोते दिव्यांशु द्वारा अपनी व श्रीमती सुन्दरी देवी स्टाम्प विक्रेता की आवाज होने की पहचान की गई तत्पश्चात उक्त वार्ता को कार्यालय कम्प्यूटर की मदद से जरिये कानि0 राजवीर तीन खाली

सीडीयों में संग्रहित करवाया जाकर बाद मिलान सही होना सुनिश्चित कर सीडीयों पर क्रमशः मार्क "ए–1", "ए–2", एवं "ए–3" अंकित करवाया जाकर सीडीयों के उपर गवाहान एवं परिवादी के पोते दिव्यांशु के हस्ताक्षर करवाये जाकर एवं मन पुलिस उप अधीक्षक द्वारा स्वयं के हस्ताक्षर कर तीन सीडीयों में से मार्क शुदा सीडी–ए–1 तथा ए–2 को अलग अलग प्लास्टिक के कवर में सुरक्षित रखकर, कवर सहित सीडीयों को पृथक पृथक कपडे की थैलियों में सील्ड मोहर कर थैलियों पर भी मार्का ए–1, ए–2 अंकित किया जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर कराकर कब्जे पुलिस लिया गया तथा मार्क शुदा सीडी ए–3 को अनुसंधान हेतु अनशील्ड रखा गया। उक्त प्रकिया से डिजिटल वाईस रिकॉर्डर रिकॉर्ड शुदा वार्ताओं की जो सीडी बनाई गई उनमें किसी भी प्रकार की छेडछाड एवं कांट–छाट नही की गई। इसके बाद परिवादी के पोते दिव्यांशु को बाद हिदायत कार्यालय से रूखसत किया गया। इसके बाद समय 05.45 पीएम पर परिवादी चन्द्र प्रकाश अरोडा कार्यालय में उपस्थित आये एवं मुझे बताया कि मै आज सुबह हार्ट की बीमारी के ईलाज एवं दवाई लेने के लिये एम्स हॉस्पीटल दिल्ली गया था, उसी दौरान मेरे पीछे से नेतराम थानेदार के दो स्टाफ वाले मेरी दुकान पर आये एवं उन्होने अपने मोबाईल की स्क्रीन पर लिखकर टाईप कर मेरे पोते दिव्यांशु से 70 हजार रूपये बतौर रिश्वत की मांग की तथा शीघ्र राशि देने को कहा है, जिस पर मेरे पोते ने उनसे मेरे द्वारा ही अलवर आने पर पैसे देने की बात कही है, मेरे पोते की उनसे मोबाईल फोन पर भी बात हुई है तथा मेरे पोते को आरोपीगण पुलिस कर्मियों द्वारा श्रीमती सुन्दरी देवी स्टाम्प विकेता से भी हमसे रिश्वत लिये जाने के संबंध में फोन करवाये गये है जिसके बारे में मेरे पोते ने आपके कार्यालय में आपको सूचना दी जाकर स्टाम्प विकेता श्रीमती सुन्दरी देवी की वार्ताओ को रिकार्ड भी करवा दिया है तथा वे पुलिस वाले अलवर में ही है और मेरे आने का इन्तजार कर रहे है और वे अब मुझसे पैसे ले जाने के लिये किसी भी समय या तो मेरी दुकान पर आज सकते है या मुझे कहीं किसी स्थान पर बुला सकते है। इस पर विभागीय डिजीटल वाईस कार्यालय की आलमारी से निकालकर उसमें नया सैल डालकर एवं फोल्डरों को चैक कर खाली होना सुनिश्चित कर परिवादी चन्द्रप्रकाश एवं राकेश कुमार कानि0 को चालू एवं बन्द करने की विधि समझाकर राकेश कुमार कानि0 को समय 05.50 पीएम पर जरिये फर्द सुपुर्द किया गया एवं हिदायत दी गई कि वह परिवादी के हमराह गन्तव्य स्थान परिवादी की मुगस्का अलवर स्थित दुकान पर पहुंचकर आरोपीगण पुलिस कर्मियों के परिवादी की दुकान पर या परिवादी के घर पर आने से पहले उनसे परिवादी की वार्ता हेतु वाईस रिकार्डर को चालू करके परिवादी चन्द्रप्रकाश अरोडा को सुपुर्द करे, एवं आरोपीगण एवं परिवादी के बीच होने वाली वार्ता को सुनने एवं देखने का प्रयास करे तथा परिवादी की आरोपीगण से वार्ता होने के बाद वाईस रिकार्डर को परिवादी से लेकर बन्द कर अपने पास सुरक्षित रखे छेड–छाड नहीं करें तथा वापस कार्यालय में हमराह परिवादी के आकर मांगने पर उसी हालत में पेश करे। श्री लल्लू राम कानि0 को राकेश कुमार कानि0 व परिवादी के हमराह जाने की हिदायत दी गई। फर्द सुपुर्दगी वाईस रिकार्डर बाद हस्ताक्षर शामिल पत्रावली कर परिवादी चन्द्रप्रकाश अरोडा को आरोपीगण के सही नाम पदस्थापन स्थान की जानकारी कर लेकर आने की हिदायत कर समय 06.00 पीएम पर परिवादी को राकेश कुमार कानि0 व लल्लूराम कानि0 के हमराह रिश्वत राशि की मांग के गोपनीय सत्यापन हेतु मय वाईस रिकार्डर के कार्यालय से जरिये मोटरसाईकिल आरोपीगणों के रिश्वत मांगने व लेने आने वाले स्थान परिवादी की मुंगस्का अलवर स्थित दुकान एवं परिवादी के आवास स्थित 47 पंचवटी अलवर के लिये रवाना किया गया तथा समय 6.00 पीएम पर दीगर कार्यवाही हेतु पूर्व से पाबन्द शुदा गवाहान सर्व श्री मनोज कुमार व श्री वैभव उपाध्याय सीए सैकण्ड कार्यालय सहायक अभियंता ए तृतीय जयपुर विघुत वितरण निगम लिमिटेड अलवर को जरिये मोबाईल फोन शीघ्र कार्यालय में उपस्थित आने की हिदायत दी गई, एवं श्री रामसिंह कानि0 549 एसीबी चौकी अलवर प्रथम हाल कोर्ट मुंशी एसीबी कोर्ट अलवर को जरिये दूरभाष कार्यालय में उपस्थित होने की हिदायत दी गई। इसके बाद समय 6.15 पीएम पर श्री रामसिंह कानि0 549 एसीबी चौकी अलवर प्रथम अलवर उपस्थित कार्यालय आया है जिसे कार्यालय में बैढाया गया। इसके बाद समय 06.25 पीएम पर पूर्व से पाबन्द शुदा गवाहान सर्व श्री मनोज कुमार सीए सैकण्ड व श्री वैभव उपाध्याय सीए सैकण्ड कार्यालय सहायक अभियंता ए तृतीय जयपुर विघुत वितरण निगम लिमिटेड अलवर, उपस्थित कार्यालय आये जिन्हें गोपनीयतो के दृष्टिगत कार्यवाही से अनभिज्ञ रखते हुये कार्यालय में अलग कमरे में बैढाया गया। इसके बाद समय 07.10 पीएम पर परिवादी चन्द्रप्रकाश अरोडा व राकेश कुमार व लल्लूराम कानि0 उपस्थित कार्यालय आये एवं परिवादी ने मुझे बताया कि– हम तीनों आपके कार्यालय से रवाना होकर मेरी दुकान पर पहुंचे एवं आरोपीगण पुलिस कर्मियों से जरिये मोबाईल वार्ता की तो उन्होने मुझे मेरे घर पर आने की कहा जिस पर हम तीनों मेरे घर पर पहुंचे कुछ समय के बाद चार आरोपीगण पुलिस वालें एक सिफ्ट वीएक्सआई कार से मेरे घर पर आये और कार मकान के बाहर खडी की तथा उन चारो व्यक्तियों के मेरे घर के अन्दर आने से पहले ही श्री राकेश कुमार ने वाईस रिकार्डर चालू कर मुझे दे दिया जिसे मैने चालू हालत में ही अपनी पैन्ट की जेब में रख लिया था। उसके बाद वे चारो पुलिस वाले मेरे घर के अन्दर आये और मेरे पास आकर बाहर वाले कमरे के अन्दर बैठ गये और मुझसे वार्ता करने लगे, बात चीत करते करते मैने उनसे उनके नाम पूछे तो उनमें से एक ने अपना नाम गजराज व

दूसरे ने अपना मेघराम होना व चित्तौडगढ पुलिस में होना बताया तथा तीसरे ने अपना नाम मोहन मीना व चौथे ने अपना नाम रिंकू या राहुल मीना होना व अलवर के निवासी होना बताया तत्पश्चात गजराज ने अपने मोबाईल फोन से मेरी थानेदार नेतराम जी से वार्ता कराई तथा स्वयं गजराज द्वारा अपने फोन से नेतराम थानेदार से कमरे से बाहर जाकर वार्ता की और बाहर से अन्दर कमरे में मेरे पास आकर थानेदार नेतराम के कहे एवं बताये अनुसार मुझसे मुकदमे में मेरा नाम नहीं आने तथा मुकदमे से मुझे फ्री करने तथा मेरे खिलाफ उक्त मुकदमा में कोई कार्यवाही नहीं करने की कहते हुये मुझसे पहले पचास हजार एवं बाद में 55 हजार रूपये रिश्वत में मांगे तो मैने उनसे कहा कि मै अभी थोडी देर में इन्तजाम करता हूं तो उनमें से एक जवान ने कहा कि हमें दूर जाना है तथा हमारी ट्रेन है हम अभी घंटा एक में वापस आते है पैसे तैयार रखना यह कहकर वे चारो उसी सिफ्ट गाडी से वापस चले गये। उस कार का नम्बर आरजे–02 सीई–8367 था वार्ता के समय मेरा पोता दिव्यांशु भी वहां पर मौजूद था जिसने गाडी के नम्बर देखकर मुझे बताये थे। उनसे मेरी हुई सभी वार्ता को मैने टेप रिकार्डर में रिकार्ड कर लिया और टेप रिकार्डर चालू हालत में राकेश कुमार को दे दिया था जो इन्होने बन्द कर अपने पास रख लिया उसके बाद हम वहां से वापस आये है। उक्त कथनों की ताईद राकेश कुमार व लल्लूराम कानि0 ने एवं परिवादी के हमराह उपस्थित आये हुये परिवादी के पोत्र श्री दिव्यांशु ने की। इसके बाद राकेश कुमार कानि0 से वाईस रिकार्डर जरिये फर्द प्राप्त कर रिश्वत मांग के मुख्य अंशों को सुना गया तो परिवादी की कथनों मुताबिक वार्ता रिकार्ड होना पाई गई एवं आरोपीगण पुलिस कर्मियों द्वारा परिवादी से 55 हजार रूपये रिश्वत राशि की मांग किये जाने व रिश्वत राशि परिवादी के घर पर आकर प्राप्त करने हेतु आने की पुष्टि हुई। वाईस रिकार्डर को कार्यालय की अलमारी में सुरक्षित रखा गया तथा परिवादी से आरोपीगण पुलिस कर्मियों द्वारा मागी गई रिश्वत राशि का इन्तजाम कर साथ लाने के बारे में पूछा तो परिवादी ने मांगी गई रिश्वत राशि का इन्तजाम कर साथ लेकर आना बताया। इसके बाद समय 07.20 पीएम पर कार्यालय में उपस्थित गवाहान श्री मनोज कुमार व वैभव उपाध्याय को मन पुलिस पुलिस उप अधीक्षक द्वारा अपने कक्ष में बुलाकर उनसे गोपनीय कार्यवाही में स्वतंत्र गवाह बनने की सहमति प्राप्त की गई तत्पश्चात दोनो स्वतंत्र गवाहों व उपस्थित परिवादी चन्द्रप्रकाश अरोडा का आपस में परिचय करवाया एवं परिवादी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 09.03.2022 को दिखाया एवं पढवाया जाकर उस पर दोनो गवाहों के हस्ताक्षर दिनांक अंकित कराये गये, तत्पश्चात विभागीय वाईस रिकार्डर में रिकार्ड परिवादी व आरोपीगण के मध्य हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता के मुख्य अंशों को वाईस रिकार्डर को चालू कर सुना व परिवादी एवं गवाहान को सुनाया गया तो दोनो गवाहों ने आरोपीगण द्वारा रिश्वत की मांग किये जाने की पुष्टि की, रिकार्ड वार्ता में आवाज की पहचान परिवादी द्वारा की गई। उक्त रिकार्ड वार्ता को श्री रामजीत सिंह कानि0 से कार्यालय कम्प्यूटर में सेव करवाया जाकर परिवादी के कथनानुसार आरोपीगण पुलिस कर्मी रिश्वत राशि आज अभी घंटे आधे घंटे के बाद परिवादी के आवास पर आकर ही प्राप्त करने की स्थिति में रिश्वती मांग सत्यापन वार्ता आदि का रूपान्तरण बाद में पृथक से मुर्तिव किया जाना उचित समझते हुये वॉईस रिकार्डर को कार्यालय की अलमारी में सुरक्षित रखा गया। इसके बाद समय 7.30 पीएम पर परिवादी चन्द्रप्रकाश अरोडा ने मांगने पर आरोपीगण पुलिसकर्मी को रिश्वत में दी जाने वाली रिश्वत राशि 500–500 रूपये के 110 नोट कुल 55000/– रूपये अपने पास से निकालकर मन पुलिस उप अधीक्षक को पेश किये जिनका विवरण फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी नोट में अंकित करवाये जाकर पेश शुदा नोटो को गवाहान व परिवादी को दिखाया जाकर नम्बरों का मिलान दोनो गवाहान से करवाया गया, तत्पश्चात रामसिंह कानि0 नम्बर–549 से कार्यालय की अलमारी के अन्दर से फिनोफ्थलीन पाऊडर की शीशी निकलवाकर मंगाई जाकर श्री रामसिंह कानि0 से फिनोफ्थलीन पाऊडर एक अखवार पर निकलवाकर 55,000/–रूपये के नम्बरी नोटो पर भली–भांति लगवाया गया, तत्पश्चात परिवादी चन्द्र प्रकाश अरोडा की जामा तलासी गवाह श्री मनोज कुमार से लिवाई गई जिसमें उसके पास बदन पर पहने हुये कपडों, मोबाईल फोन के अलावा कोई वस्तु नहीं छोडी गई। इसके बाद श्री राम सिंह कानि0 से फिनोफ्थलीन पाऊडर लगे हुये 55,000/–रूपये के नोट परिवादी चन्द्र प्रकाश अरोडा के बदन पर पहनी हुई पैन्ट की सामने की दाहिनी साईड की जेब में रखवाये गये तथा परिवादी को समझाईस की गई कि अब वह इन पाऊडरयुक्त नोटो को अनावश्यक रूप से हाथ नही लगावे और आरोपीगण के मांगने पर ही निकालकर उसे देवे तथा आरोपी द्वारा उक्त नोटो को प्राप्त करके कहां पर रखा जाता है, इसका पूरा–पूरा ध्यान रखे तथा आरोपी द्वारा रिश्वत में उक्त नोट प्राप्त करने पर कोई बहाना बनाकर अपने सिर पर दो बार हाथ फेरकर या मोबाईल फोन से मिसकॉल कर मुझे व ट्रेप पार्टी को ईशारा करे एवं दोनो गवाहो को भी हिदायत दी गई कि वे जहां तक सम्भव हो सके परिवादी व आरोपीगण के बीच में होने वाले रिश्वत के लेन–देन को देखने तथा उनके मध्य होने वाली वार्ता को सुनने का प्रयास करें साथ ही समस्त ट्रेप पार्टी सदस्यो को भी आवश्यक हिदायतें दी गई। इसके बाद श्री राजवीर कानि. से एक कांच के साफ गिलास में साफ पानी भरवाकर मंगवाया और अजय कुमार मुख्य आरक्षक से उसके हाथ साबुन व साफ पानी से साफ कराकर ट्रेप बोक्स मंगवाकर उसमें से सोडियम कार्बोनेट पाऊडर की शीशी को निकलवाकर गवाह श्री वैभव उपाध्याय से एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाऊडर उक्त गिलास के पानी

में डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो उक्त घोल का रंग नहीं बदला, जिसे सभी हाजरीन को दिखाया गया तो सभी ने घोल का रंग अपरिवर्तित होना बताया। इसके बाद उक्त गिलास के घोल में नोटो पर फिनोफथलीन पाऊडर लगाने वाले श्री राम सिंह कानि0 के दाहिने हाथ की अंगुलियों को अंगुठें सहित डुबोकर धुलवाया गया तो गिलास के धोवन का रंग गहरा गुलाबी हो गया, जिसे सभी हाजरीन ने गहरा गुलाबी होना स्वीकार किया। इस प्रकार परिवादी एवं दोनो गवाहो को फिनोफ्थलीन व सोडियम कार्बोनेट पाऊडर की प्रतिकिया के महत्व को दृष्टांत दिलवाकर समझाया गया और फिनोफथलीन पाऊडर की शीशी को ढक्कन बंद करवाकर श्री राम सिंह कानि0 से वापस कार्यालय के रखी अलमारी में तथा सोडियम कार्वोनेट पाऊडर की शीशी को ट्रेप बोक्स में अजयकुमार मुख्य आरक्षक के मार्फत उसके हाथ साफ कराने के बाद रखवाया गया। इसके बाद रामसिंह कानि0 से गिलास के धोवन को बाहर नाली में फिकवाया गया और काम में लिये गये अखवार को जलवाकर नष्ट करवाया गया तथा उसके दोनो हाथों एवं गिलास को साबुन पानी से साफ करवाया गया तथा गिलास को कार्यालय में रखवाया गया। इसके बाद ट्रेप कार्यवाही में काम आने वाले उपकरणों–कांच की खाली शीशीयां मय ढक्कन, कांच के गिलासों, चम्मच आदि को अजय कुमार मुख्य आरक्षक से साबुन पानी से साफ करवाकर ट्रेप बोक्स में रखवाया गया। इसके बाद दोनो गवाहान, परिवादी तथा, अजयकुमार मुख्य आरक्षक, श्री राजवीर कानि. के हाथ साबुन पानी से धुलवाये गये तथा मन पुलिस उप अधीक्षक द्वारा भी अपने हाथ साबुन पानी से साफ किये । इसके बाद परिवादी चन्द्र प्रकाश अरोडा को छोडकर दोनों गवाहान तथा ट्रेप पार्टी सदस्यों व मन पुलिस उप अधीक्षक की आपस में एक दूसरे से जामा तलासी लिवाई गई जिसमें दोनो गवाहो के पास मोबाईल फोन तथा मन पुलिस उप अधीक्षक एवं स्टाफ सदस्यों के पास विभागीय पहचान पत्र व मोबाईल फोन के अलावा अन्य कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं रहने दी गई। इसके बाद परिवादी चन्द्र प्रकाश अरोडा को रिश्वत लेन–देन के समय होने वाली वार्ता को रिकॉर्ड करने के लिये विभागीय वाईस रिकार्डर चालू व बन्द करने की विधि समझा कर सुपुर्द कर परिवादी की पहनी हुई पेन्ट की बांयी साईड की जेब में रखवाया जाकर आवश्यक हिदायत दी गई। इस कार्यवाही की फर्द मुर्तिव की जाकर बाद हस्ताक्षर शामिल पत्रावली की गई। इसके बाद 07.55 पीएम पर समस्त ट्रेप पार्टी सदस्यों को मन पुलिस उप अधिक्षक द्वारा अपने कार्यालय कक्ष में बुलाया जाकर उनके हाथ साबुन व पानी से अच्छी तरह धुलवाये जाकर आपस में एक–दूसरे की जामा तलाशी लिवाई गई एवं विभागीय परिचय पत्र व मोबाईल को छोडकर कोई आपत्तीजनक वस्तु नही पाई गई तथा परिवादी को बताये गये रिश्वत स्वीकृति के ईशारे के बारे में ट्रेप पार्टी सदस्यो को बताया गया। इसके पश्चात परिवादी श्री चन्द्र प्रकाश अरोडा को उनकी कार से श्री राकेश कुमार कानि0, श्री लल्लूराम कानि0, रामजीत सिंह कानि0, राजवीर सिंह कानि0 के साथ रवाना कर उनके पीछे–पीछे स्वतंत्र गवाह श्री मनोजकुमार व अजय कुमार हैड कानि0 को स्वतंत्र गवाह की मोटरसाईकिल से एवं दूसरे स्वतंत्र गवाह वैभव उपाध्याय व निहाल सिंह कानि0 को उसकी मोटरसाईकिल से रवाना कर उनके पीछे पीछे मन् पुलिस उप अधीक्षक मय इमदाद हेतु हस्व तलब शुदा श्री प्रेमचन्द पुलिस निरीक्षक के स्वयं के निजी वाहन कार से कार्यालय से वास्ते कार्यवाही रवाना हुआ तथा श्री महेश कुमार कानि0 चालक को मय राजकीय वाहन टवेरा गाडी के मय ट्रेप वॉक्स व लेपटॉप–प्रिन्टर आदि उपकरण सहित गोपनीयता की दृष्टि से कार्यालय में छोडा जाकर जरिये दूरभाष तलब कर मौके पर आने की हिदायत दी गई तथा नोटों पर पाउडर लगाने वाले श्री रामसिंह कानि0 को कार्यालय में ही रहने की हिदायत कर छोडा गया। समय 08.05 पी.एम पर मन पुलिस उप अधीक्षक मय सीआई प्रेमचन्द्र के जरिये निजी कार नंगली संर्किल होता हुआ पंचवटी स्कीम 7 अलवर पहुंचा जहां पर पूर्व से रवाना शुदा परिवादी एवं स्टाफ सदस्य एवं गवाहान अपने–अपने वाहनों सहित उपस्थित मिले परिवादी को एवं स्टाफ सदस्य श्री राकेश कुमार कानि0 लल्लूराम कानि0 रामजीत कानि0 राजवीर सिंह कानि0 को परिवादी के वाहन सहित परिवादी के आवास मकान नम्बर 47 पर जाने एवं वाहन को बाहर खडा कर मकान के अन्दर जाकर बैढने की हिदायत देकर रवाना किया गया एवं दोनो गवाहों एवं अजय कुमार हैड कानि0 व निहालसिंह कानि0 को वाहनों को परिवादी के घर के पास स्थित सार्वजनिक पार्क के बाहर खडा कर पार्क के अन्दर अपनी–अपनी पहचान छिपाते हुये खडे रहने की हिदायत कर मन पुलिस उप अधीक्षक अपने वाहन को पार्क के पास एक कोने में खडा कर मय पुलिस निरीक्षक श्री प्रेमचन्द को हमराह लेकर पैदल पैदल परिवादी के आवास मकान नम्बर 47 के अन्दर पहुंचा जहां पर परिवादी व अन्य स्टाफ मौजूद मिला, परिवादी को व उसके पोते दिव्यांशु को उनके मकान के बाहर वाले कमरे के अन्दर आरोपीगण पुलिस कर्मियों के रिश्वत राशि लेने हेतु आने के इन्तजार में बैठाया जाकर आरोपीगण पुलिस कर्मियों के आने पर स्वयं के सुपुर्द शुदा वॉईस रिकार्डर को ऑन कर उनसे होने वाली वाताओं को रिकार्ड करने की हिदायत दी जाकर मन पुलिस उप अधीक्षक मय स्टाफ सदस्यों के परिवादी के मकान के अन्दर अलग कमरे में बैठकर आरोपीगण पुलिस कर्मियों के आने व परिवादी के निर्धारित ईशारे के इन्तजार में मुकीम हुआ। इसके बाद समय 9.40 पीएम पर परिवादी चन्द्रप्रकाश अरोडा ने मन पुलिस उप अधीक्षक को बताया कि अभी कुछ समय पहले ही मेरा भानजा नीशु अपनी कार से मेरे पास घर पर आया था वह जैसे ही अपनी कार को मकान के बाहर खडी कर मकान के अन्दर प्रवेश हुआ था उसी दौरान

आरोपी पुलिस कर्मी गजराज व मेघराम व रिकू उर्फ राहुल मीना व मोहन मीना चारों सफेद रंग की सिफ्ट वीएक्सआई कार से मेरे मकान के बाहर रोड पर आये और मेरे भानजे नीशु को मकान के अन्दर प्रवेश करते हुआ देख कर वे चारों मेरे पास आये बिना ही मकान के बाहर से ही सिफ्ट कार से चले गये है जो मेरे पोते दिव्यांशु को घर से बाहर रोड से दिखाई दिये है, मौके पर उपस्थित परिवादी के पोते दिव्यांशु ने अपने दादा परिवादी के कथनों को सही बताते हुये बताया कि अभी कुछ समय पहले चारों आरोपीगण सफेद रंग की सिफ्ट वीएक्सआई कार नम्बर आरजे–02 सीई 8367 से हमारे घर पर आये और हमारे घर से आगे रोड पर ही कार को खडा किया तथा उस कार के अन्दर से पुलिस कर्मी गजराज एवं प्राईवेट व्यक्ति मोहन मीना उतरे तथा मेघराम व रिकूं उर्फ राहुल मीना कार के अन्दर ही बैठे रहे, वाहन से उतरकर गजराज व मोहन मीना दोनो फोन पर बातें करते हुये पैदल ही आगे पीछे होकर पार्क की तरफ चले गये तथा मेघराम पुलिस कर्मी व रिकूं उर्फ राहुल मीना दोनो कार में ही बैठे रहे जो भी फोन पर बात कर रहे थे इसी दौरान मेरी बुआजी के लडके श्री निशु जी अपनी कार से हमारे घर पर आये और अपनी कार को हमारे घर के बाहर खडी करके तेजी से घर के अन्दर प्रवेश हुये जिन्हे देखकर सिफ्ट वीडीएक्सआई कार का चालक रिंकू उर्फ राहुल कार को लेकर पार्क की तरफ चला गया तथा उसके पीछे पीछे चलकर वे दोनो आरोपी गजराज व मोहन मीना भी उसी कार में बैठकर पार्क की तरफ से होते हुये चले गये और काफी इन्तजार के बाद रिश्वत राशि लेने के लिये नही आये है शायद उन्हें हमारी बुआजी के लडके निशु जी के अचानक हमारे घर पर कार से आ जाने से शक हो गया है । इसी बीच पार्क में खडे हुये दोनो गवाहान एवं स्टाफ के सदस्य श्री अजय कुमार हैड कानि0 व निहाल सिंह कानि0 ने मन पुलिस उप अधीक्षक के पास आकर दिव्यांशु के कथनों की ताईद की तत्पश्चात दोनो गवाहान एवं अजय कुमार हैड कानि0 व निहाल सिंह कानि0 को वापस पार्क में ही खडे रहने की हिदायत देकर रवाना किया गया और आरोपीगण पुलिस कर्मियों के परिवादी के पास उसके घर पर मांगी गई रिश्वत राशि लेने हेतु वापस आने या परिवादी व उसके पोते दिव्यांशु को फोन किये जाने के इन्तजार में मन पुलिस उप अधीक्षक मय गवाहान व स्टाफ के परिवादी के आवास पर ही मुकीम हुआ। इसके बाद समय 10.00 पीएम पर तक आरोपीगण पुलिस कर्मियों के वायदे अनुसार परिवादी के आवास पर मांगी गई रिश्वत राशि लेने हेतु नहीं आने पर परिवादी को आरोपीगण पुलिस कर्मियों से उनके मोबाईल फोन पर वार्ता करने को कहा तो परिवादी एवं उसके पोते श्री दिव्यांशु ने अपने–अपने मोबाईल फोन नम्बरों कमशः 7597220832, 9982112553 से आरोपीगण पुलिस कर्मियों श्री मेघराम के मोबाईल फोन नम्बर– 9116111190 व गजराज के मोबाईल फोन नम्बर–9680410909 एवं मोहन मीना के मोबाईल नम्बर–9636374734 एवं रिंकू उर्फ राहुल मीना के मोबाईल नम्बर–7014454252 को मिलाया तो उक्त चारो के फोन स्विच ऑफ मिले, परिवादी ने बताया कि अब काफी समय हो गया है तथा रात्रि में आरोपी पुलिस कर्मियों का आना अब सम्भव नहीं है वे कल दिनांक 11.03.2022 को सुबह मेरे घर या दुकान पर आ सकते है। इस पर परिवादी के कथनो अनुसार अब और इन्तजार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता, क्योंकि आरोपीगण पुलिस कर्मियों एवं उनके प्राईवेट साथियों के मोबाईल फोन स्विच ऑफ आ रहे है। अतः अगले रोज दिनांक 11.03.2022 को कार्यवाही किया जाना सम्भव मानते हुये समय 10.20 पीएम पर मन पुलिस उप अधीक्षक मय हमराहीयान जाप्ता गवाहान एवं परिवादी को हमराह लेकर जरिये वाहन एसीबी कार्यालय अलवर के लिये रवाना होकर समय 10.35 पीएम पर उपस्थित कार्यालय आया, जहां पर दोनो गवाहान व परिवादी के सामने परिवादी को पूर्व में सुपुर्द शुदा पाउडर युक्त रिश्वती राशि 500–500 रूपये के 110 नोट कुल 55,000 रूप्ये श्री रामसिंह कानि से परिवादी की पैंट की दाहिनी साईड की जेब से निकलवाकर पूर्व की फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी नोट से दोनो गवाहो से मिलान करवाकर एक सफेद रंग के लिफाफे में रखवाये जाकर पाउडर युक्त रिश्वती राशि 55000/–रू. मय लिफाफा को अजयकुमार मुख्य आरक्षक को सुपुर्द कर कार्यालय की अलमारी में रखवाये गये। इस समस्त कार्यवाही की पृथक से फर्द मुर्तिव की जाकर सम्बन्धित के हस्ताक्षर कराकर शामिल पत्रावली की गई। इसके बाद परिवादी से डिजीटल वाईस रिकार्ड प्राप्त कर सुना गया तो उसमें कोई वार्ता रिकार्ड होना नही पाई गई, परिवादी व उसके पोते दिव्यांशु ने पूछने पर बताया कि आरोपीगण पुलिस कर्मियों के नहीं आने से टेप रिकार्डर को चालू नहीं किया गया था। परिवादी से डिजीटल वॉईस रिकार्डर प्राप्त कर सुरक्षित रखा गया। इसके बाद समय 11.10 पीएम पर दोनो गवाहों एवं परिवादी के सामने परिवादी चन्द्रप्रकाश अरोडा व स्टाम्प बैण्डर श्रीमती सुन्दरी देवी आरटीओ कार्यालय परिसर अलवर व नेतराम थानेदार के मध्य दिनांक 09.03.2022 को श्रीमती सुन्दरी देवी स्टाफ विकेता के मोबाईल फोन नम्बर–9413437445 से परिवादी के मोबाईल फोन नम्बर 7597220832 पर हुई वार्ताओं के रिकार्ड शुदा वॉईस रिकार्डर विभागीय कम्प्यूटर की मदद से चालू कर उसमें रिकार्ड वार्ता को सुना व परिवादी व गवाहान को सुनाया जाकर उक्त वार्तालाप की ट्रांसक्रिप्ट तैयार करवाई जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये, उक्त वार्ताओं में परिवादी द्वारा अपनी व आरोपी नेतराम थोनदार एवं स्टाम्प बैण्डर श्रीमती सुन्दरी देवी की आवाज होने की पहचान की गई तत्पश्चात उक्त वार्ता को कार्यालय कम्प्यूटर की मदद से जरिये कानि0 राजवीर तीन खाली सीडीयों में संग्रहित करवाया जाकर बाद मिलान सही होना सुनिश्चित कर सीडीयों पर कमशः मार्क "बी–1", "बी–2", एवं "बी–3" अंकित

करवाया जाकर सीडीयों के उपर गवाहान एवं परिवादी के हस्ताक्षर करवाये जाकर एवं मन पुलिस उप अधीक्षक द्वारा स्वयं के हस्ताक्षर कर तीन सीडीयों में से मार्क शुदा सीडी–बी–1 तथा बी–2 को अलग अलग प्लास्टिक के कवर में सुरक्षित रखकर, कवर सहित सीडीयों को पृथक पृथक कपडे की थैलियों में सील्ड मोहर कर थैलियों पर भी मार्का बी–1, बी–2 अंकित किया जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर कराकर कब्जे पुलिस लिया गया तथा मार्क शुदा सीडी बी–3 को अनुसंधान हेतु अनशील्ड रखा गया। उक्त प्रकिया से डिजिटल वाईस रिकॉर्डर रिकॉर्ड शुदा वार्ताओं की जो सीडी बनाई गई उनमें किसी भी प्रकार की छेडछाड एवं कांट–छाट नही की गई । इसके बाद दिनांक 11.03.2022 को समय 2.00 एएम पर आरोपीगण पुलिस कर्मियों गजराज व मेघराम व प्राईवेट व्यक्तियों एवं परिवादी चन्द्रप्रकाश अरोडा के मध्य दिनांक 10.03.2022 को रिश्वती मांग सत्यापन के समय हुई वार्ताओं के रिकॉर्ड शुदा डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को विभागीय कम्प्यूटर की मदद से चालू कर उसमें रिकार्ड रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता को सुना व गवाहान व परिवादी को सुनाया जाकर उक्त वार्तालाप की ट्रांसक्रिप्ट तैयार करवाई जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये, उक्त वार्ताओं परिवादी द्वारा अपनी व अपने पोते दिव्यांशु एवं आरोपीगण पुलिस कर्मी श्री मेघराम व गजराज एवं श्री मोहन मीना व रिंकू उर्फ राहुल मीना की आवाज होने की पहचान की गई तत्पश्चात उक्त रिश्वत मांग संबंधी वार्ताओं को कार्यालय कम्प्यूटर की मदद से जरिये कानि0 राजवीर, तीन खाली सीडीयों में संग्रहित करवाया जाकर बाद मिलान सही होना सुनिश्चित कर सीडीयों पर कमशः मार्क "सी–1", "सी–2", एवं "सी–3" अंकित करवाया जाकर सीडीयों के उपर गवाहान एवं परिवादी के हस्ताक्षर करवाये जाकर एवं मन पुलिस उप अधीक्षक द्वारा स्वयं के हस्ताक्षर कर तीन सीडीयों में से मार्क शुदा सीडी–सी–1 तथा सी–2 को अलग अलग प्लास्टिक के कवर में सुरक्षित रखकर, कवर सहित सीडीयों को पृथक पृथक कपडे की थैलियों में सील्ड मोहर कर थैलियों पर भी मार्का सी–1, सी–2 अंकित किया जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर कराकर कब्जे पुलिस लिया गया तथा मार्क शुदा सीडी सी–3 को अनुसंधान हेतु अनशील्ड रखा गया। उक्त प्रकिया से डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड शुदा वार्ताओं की जो सीडी बनाई गई उनमें किसी भी प्रकार की छेडछाड एवं कांट–छांट नही की गई, बजह सबूत सीडीयों को जमा मालखाना करवाया जाकर समय 06.00 एएम पर परिवादी श्री चन्द्रप्रकाश अरोडा को आईन्दा आरोपीगण पुलिस कर्मियों से सम्पर्क होने या उनके द्वारा रिश्वत राशि लेकर बुलाने या रिश्वत राशि लेने हेतु दुकान/घर पर आने पर कार्यालय में उसी समय सूचना देकर उपस्थित होने हेतु पाबन्द कर उसके पोते दिव्यांशु के साथ रवाना किया गया तथा दोनो गवाहान व कार्यालय स्टाफ ट्रेप पार्टी सदस्यों को गोपनीयता की शपथ दिलाई गई तथा स्वतंत्र गवाहान को बाद हिदायत रूखसत किया गया। इसके बाद दिनांक 21.07.2022 को समय 11.00 एएम पर परिवादी श्री चन्द्रप्रकाश अरोडा अपने पोत्र श्री दिव्यांशु के हमराह उपस्थित कार्यालय आया एवं मेरे समक्ष उपस्थित होकर मन पुलिस उप अधीक्षक को बताया कि हमने आरोपीगण पुलिस कर्मियों थानेदार नेतराम व मेघराम, गजराज व उनके साथ में आये प्राईवेट व्यक्तियों श्री मोहन मीना व रिंकू उर्फ राहुल मीना से कई बार सम्पर्क किया गया किन्तु उनके द्वारा पैसे आदि के संबंध में कोई बात नहीं की गई है। अब आरोपीगण पुलिस कर्मी हमसे कोई रिश्वत की मांग नहीं कर रहे है उन्हें किसी के माध्यम से मेरे द्वारा उनके खिलाफ आपके कार्यालय से करवाई जा रही ट्रेप कार्यवाही का पता लग चुका है, अब आरोपीगण पुलिस कर्मी मुझसे रिश्वत राशि नहीं लेगें, और ना ही मेरा काम करेगें। अतः मेरी 55,000/–रूपये की राशि को वापस लोटाया जावे, इस संबंध में परिवादी चन्द्रप्रकाश अरोडा द्वारा अपने हस्ताक्षरों से लिखित प्रार्थना पत्र पेश किया, तत्पश्चात श्री अजय कुमार मुख्य आरक्षक से पाउडर युक्त राशि 500–500 रूपये के 110 नम्बरी नोट कुल 55,000/–रूपये को लिफाफा सहित कार्यालय की अलमारी से निकलवाकर उक्त राशि 55,000/–रूपयों को लिफाफा से बाहर निकलवाकर मिलान कर उन्हें फिनोफ्थलीन पाउडर मुक्त कर परिवादी चन्द्रप्रकाश अरोडा को वापस लोटाया जाकर प्राप्ती रसीद प्राप्त कर शामिल पत्रावली की गई, ताबाद परिवादी चन्द्रप्रकाश अरोडा को बाद हिदायत उसके साथ में आये हुये पोत्र दिव्यांशु सहित कार्यालय से रूखसत किया गया। इसके बाद दिनांक 21.07.2022 को ही समय 05.00 पीएम पर आरोपीगण श्री नेतराम, गजराज, मेघराम, मोहन आदि के जिला पुलिस चित्तौडगढ में पुलिस अधिकारी/कर्मचारी होने व पदस्थापन स्थान, रो0 आम एवं नेतराम के पुलिस अधिकारी होने पर उसके पास लम्बित अभियोगो की सूची आदि उपलब्ध बाबत श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक चित्तौडगढ को पत्र कमांक 630 दिनांक 21.07.2022 जारी कर लिफाफा में बन्द कर कार्यालय के श्री सतीश कुमार कानि0 275 को उक्त सूचना लेकर आने हेतु पाबन्द किया गया तथा परिवादी एवं उसके पोत्र श्री दिव्यांशु द्वारा आरोपीगण पुलिस कर्मियों द्वारा प्राईवेट व्यक्तियों श्री मोहन मीना एवं रिंकू उर्फ राहुल मीना के हमराह वक्त रिश्वत मांग सत्यापन एवं लेन–देन के वक्त काम में लिये गये वाहन सं. आरजे–02 सीई–8367 के सम्बन्ध में आर.टी.ओ. की वाहन इन्फोरमेंशन की एप पर जरिये मोबाईल फोन जानकारी करने पर वाहन सिफ्ट वीएक्सआई कार नम्बर आरजे–02–सीई–8367 के मालिक का नाम मनोहरलाल मीना होना एवं मोबाईल नम्बर–9636374734 व 7014454252 की सर्च मोबाईल डिटेल अनुसार मोबाईल नम्बर– 9636374734 के ऑपरेटर का नाम पता–मोहन मीना पुत्र श्री बादाम मीना निवासी सलेमपुर खुर्द वैर जिला भरतपुर एवं मोबाईल नम्बर–7014454252 के ऑपरेटर का

नाम पता–राहुल मीना पुत्र श्री मनोहरलाल मीना निवासी विवेकानन्द नगर अलवर होना पाया गया। इसके बाद दिनांक 28.07.2022 को समय 11.30 एएम पर श्री सतीश कुमार कानि0 275 ने मन पुलिस उप अधीक्षक के समक्ष उपस्थित होकर कार्यालय जिला पुलिस अधीक्षक चित्तौडगढ से इस कार्यालय के पत्रांक 630/21.07.2022 द्वारा चाही गई वांछित सूचना का गोपनीय बन्द लिफाफा पेश किया जिसे खोलकर चैक किया तो उक्त लिफाफे में श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक चित्तौडगढ के पत्रांक 1208/26.07.2022 व उसके सलंग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया गया तो श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक चित्तौडगढ द्वारा पत्रांक 1208/26.07.2022 से जिला पुलिस चित्तौडगढ में आंरोपीगण श्री नेतराम का उप निरीक्षक के पद पर, श्री गजराज का कानि0 नम्बर–328 के पद पर तथा मेघराम का कानि0 नम्बर–1597 के पद पर कार्यरत होना तथा दिनांक 05.03.2022 से 12.03.2022 तक की अवधि में तीनों का पुलिस थाना कोतवाली चित्तोडगढ में पदस्थापित होना तथा वर्तमान श्री नेतराम उप निरीक्षक का थानाधिकारी पुलिस थाना शंभूपुरा में तथा गजराज व मेघराम कानि0 का पुलिस थाना कोतवाली चित्तौडगढ में कार्यरत होना तथा तथा मोहन मीना का चित्तौडगढ में पदस्थापित नहीं होना तथा उक्त पत्र के सलंग्न आरोपी नेतराम उप निरीक्षक के पास पुलिस थाना कोतवाली में पदस्थापन के समय दिनांक 08.03.2022 से 12.03.2022 तक की अवधि में लम्बित अभियोगो की सूची मुताबिक मुकदमा नम्बर 137/21 दिनांक 03.06.2021 धारा 8/21,29 एनडीपीएस एक्ट विरूद्ध श्री शहजाद खान पिता रहीश खांन जाति मेव मुसलमान निवासी मन्नाका तुलेडा थाना एनईबी अलवर एवं अन्य का जैर तफ्तीश होना तथा पत्र के सलंग्न पुलिस थाना कोतवाली चित्तौडगढ के रो0 आम दिनांक 05.03.2022 से 12.03.2022 के अवलोकनानुसार रो0 आम रपट सं. 027/दिनांक 07.03.2022/समय 09.52 एएम पर श्री नेतराम उप निरीक्षक की मय जाप्ता कानि0 गजराज नम्बर 328 की प्रकरण सं. 137/21, 180/21 धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट थाना सदर चित्तौडगढ में मुल्जिमान की तलाश एवं अनुसंधान हेतु लुधियाना एवं अलवर रवानगी होना तथा रो0 आम रपट सं. 35/दिनांक 08.03.2022/समय 10.45 एएम पर श्री मेघराम कानि0 1597 की प्रकरण सं. 137/21 अभियुक्त श्री शहजाद खान पिता रहीश खांन निवासी तुलेडा अलवर की तलाश हेतु रवानगी होना तथा रो0 आम रपट सं. 026/दिनांक 11.03.2022/समय 09.55 एएम पर श्री नेतराम उप निरीक्षक व गजराज कानि0 की एवं रो0 आम रपट सं. 049/दिनांक 11.03.2022/समय 01.43 पीएम पर मेघराम कानि0 की वापसी दर्ज होना पाया गया है।

इस प्रकार परिवादी श्री चन्द्रप्रकाश अरोडा पुत्र स्व0 श्री सूरजभान उम्र 65 वर्ष निवासी 47 पंजवटी स्कीम 7 अलवर की लिखित रिपोर्ट, फर्द ट्रांसकिप्ट वार्ता दिनांक 09.03.2022 एवं रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 10.03.2022 एवं की गई समस्त कार्यवाही एवं प्राप्त रिकार्ड आदि से नेतराम उप निरीक्षक पुलिस थाना कोतवाली जिला चित्तौडगढ द्वारा पुलिस थाना सदर चित्तौडगढ में दर्ज प्रकरण संख्या–137/21 दिनांक 03.06.2021 धारा 8/21,29 एन.डी.पी.एस. एक्ट विरूद्ध श्री शहजाद खान पिता रहीश खांन जाति मेव मुसलमान निवासी मन्नाका तुलेडा थाना एनईबी अलवर एवं अन्य में बाहैसियत तफ्तीशी अधिकारी होते हुये अपने मातहत श्री गजराज कानि0 नम्बर 328 व श्री मेघराम कानि0 नम्बर 1597 थाना कोतवाली चित्तौडगढ के हमराह दिनांक 09.03.2022 को अलवर में आकर स्थानीय प्राईवेट व्यक्ति श्री मोहन मीना व रिंकू उर्फ राहुल मीना को साथ लेकर परिवादी चन्द्रप्रकाश अरोडा के पास उसकी मुंगस्का अलवर स्थित दुकान प्रियंका कार बाजार/आवास पर जाकर परिवादी को उक्त मुकदमे में मुल्जिम बनाकर साथ में चित्तौडगढ लेकर जाने की धमकी देकर अपने मातहतों के जरिये सर्वप्रथम 01 लाख रूपये देने हेतु कहलवाना तथा उक्त दिनांक 09.03.2022 को ही नेतराम उप निरीक्षक पुलिस द्वारा आर0टी0ओ0 कार्यालय अलवर परिसर में स्टाम्प बेचने वाली श्रीमती सुन्दरी देवी से मिलकर उसके मोबाईल फोन से परिवादी चन्द्रप्रकश अरोडा को फोन कराकर उसकी वार्ता कराना एवं स्वयं द्वारा भी परिवादी से वार्ता कर परिवादी को सारा फर्जीवाडा उसके द्वारा ही किये जाने हेतु कहना, एवं परिवादी द्वारा दुकान पर आकर वार्ता करने हेतु कहने पर नेतराम उप निरीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी को चार घंटे का समय दिये जाने की बात कहकर परिवादी को चित्तौडगढ आने हेतु कहना एवं अपने मातहत गजराज व मेघराम कानि0 को अलवर में छोडकर जाना, जिनके द्वारा दिनांक 10.03.2022 को श्रीमती सुन्दरी देवी स्टाम्प विक्रेता से परिवादी से पैसे लिये जाने के लिये परिवादी के पोते दिव्यांशु को फोन पर फोन करवाकर पैसे शीघ्र दिये जाने हेतु दबाब बनाना एवं परिवादी के पोते दिव्यांशु की दिनांक 10.03.2022 को श्रीमती सुन्दरी देवी स्टाम्प विक्रेता से करवाई गई मोबाईल वार्ता अनुसार श्रीमती सुन्दरी देवी स्टाम्प विक्रेता द्वारा आरोपी पुलिस कर्मियों द्वारा स्वयं से 20 हजार रूपये लेना बताते हुये परिवादी के पोते दिव्यांशु से 50 हजार रूपये का शीघ्र इन्तजाम करके लेकर आने तथा बिना पैसे लिये पुलिस कर्मियों के नहीं जाने हेतु कहना तथा नेतराम उप निरीक्षक पुलिस के मातहत श्री गजराज कानि0 नम्बर 328 व श्री मेघराम कानि0 नम्बर 1597 द्वारा स्थानीय प्राईवेट व्यक्ति श्री मोहन मीना व रिकू उर्फ राहुल मीना से आपसी मिलीभगत कर मुकदमा नम्बर–137/2021 में परिवादी श्री चन्द्रप्रकाश अरोडा को मुल्जिम बनाकर चित्तौडगढ नहीं लेकर जाने व उक्त मुकदमा में उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं

करने की एवज में परिवादी से पूर्व में एक लाख रूपये की मांग कर वक्त रिश्वत मांग सत्यापन दिनांक 10.03.2022 को श्री गजराज कानि0 नम्बर 328 व श्री मेघराम कानि0 नम्बर 1597 द्वारा स्थानीय प्राईवेट व्यक्ति श्री मोहन मीना व रिंकू उर्फ राहुल मीना के सहयोग से परिवादी श्री चन्द्रप्रकाश अरोडा से 55,000/–रूपये रिश्वत राशि की मांग करना तथा वरवक्त कार्यवाही दिनांक 10.03.2022 को ही वादे अनुसार मांगी गई रिश्वत राशि प्राप्त नहीं करना तथा परिवादी के लिखित प्रार्थना पत्र के अनुसार शक होने से उससे अब पूर्व में मांगी गई रिश्वत राशि प्राप्त नही करना और ना ही श्री नेतराम उप निरीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी का कार्य करना पाया गया है।

उपुर्यक्तानुसार श्री गजराज कानि0 नम्बर 328, श्री मेघराम कानि0 नम्बर 1597 पुलिस थाना कोतवाली चित्तौडगढ एवं अलवर के स्थानीय प्राईवेट व्यक्ति श्री मोहन मीना व रिंकू उर्फ राहुल मीना का उक्त कृत्य अन्तर्गत धारा 7,7ए भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 व धारा 384 व 120बी भादंसं में प्रथम दृष्ट्या बनना पाया जाता है। उक्त मामले में श्री नेतराम तत्कालीन उप निरीक्षक, पुलिस थाना कोतवाली चित्तौडगढ हाल थानाधिकारी पुलिस थाना शंभूपुरा जिला चित्तौडगढ एवं श्रीमती सुन्दरी देवी स्टाम्प विकेता आर.टी.ओ. कार्यालय परिसर अलवर की संदिग्ध भूमिका बाबत गहनता से अनुसंधान किया जावेगा।

अतः श्री गजराज पुत्र श्री संग्राम सिंह जाति राठौड उम्र 39 वर्ष निवासी कोठारिया तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द (राज.) हाल कानिस्टेबल नम्बर– 328 पुलिस थाना कोतवाली चित्तौडगढ जिला चित्तौडगढ (राज.) , श्री मेघराम पुत्र श्री कमर सिंह जाति मीना उम्र 29 वर्ष निवासी बहादुरपुर तहसील टोडाभीम जिला करौली (राज.) हाल कानिस्टेबल नम्बर– 1597 पुलिस थाना कोतवाली चित्तौडगढ जिला चित्तौडगढ (राज.), श्री मोहन मीना पुत्र श्री बादाम मीना निवासी सलेमपुर खुर्द वैर जिला भरतपुर (प्राईवेट व्यक्ति) , श्री रिंकू उर्फ राहुल मीना पुत्र श्री मनोहरलाल मीना निवासी विवेकानन्द नगर अलवर (प्राईवेट व्यक्ति) के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 7,7ए भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 व धारा 384, 120बी भादंसं में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते कमांकन प्रेषित है।

(महेन्द्र कुमार)
उप पुलिस अधीक्षक,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
अलवर द्वितीय, अलवर

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री महेन्द्र कुमार, उप पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अलवर-द्वितीय, अलवर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 384, 120बी भादंसं में अभियुक्तगण 1. श्री गजराज पुत्र श्री संग्राम सिंह, कानि. नम्बर 328, 2. श्री मेघराम पुत्र श्री कमर सिंह, कानि. नम्बर 1597, पुलिस थाना कोतवाली, जिला चित्तौड़गढ़ 3. श्री मोहन मीना पुत्र श्री बादाम मीना (प्राईवेट व्यक्ति) निवासी सलेमपुर खुर्द वैर जिला भरतपुर एवं 4. श्री रिंकू उर्फ राहुल मीना पुत्र श्री मनोहरलाल मीना(प्राईवेट व्यक्ति), निवासी विवेकानन्द नगर अलवर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 398/2022 उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर प्रतियाँ प्रथम सूचना रिपोर्ट नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

11.10.22

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

कमांक 3468-72 दिनांक 11.10.2022

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, उदयपुर।
2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. पुलिस अधीक्षक जिला चित्तौड़गढ़।
4. पुलिस अधीक्षक-द्वितीय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्र0 नि0 ब्यूरो, अलवर द्वितीय, अलवर।

11.10.22

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।